IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति का वर्त्तमान परिदृश्य

[1]अभिरेन्द्र कुमार एवं [2]डॉ० हरिश्चन्द्र प्रसाद यादव

[1]शोध छात्र, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

[2]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ० आर० एम० एल० एस० महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

शोध सारांश :– वर्तमान शोध अध्ययन बिहार में सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति का वर्तमान परिदृश्य पर आधारित है। व्यावहारिक राजनीति में, जैसे कि भारत में, सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक एकता का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। यह नारा उन समुदायों के लिए एकजुटता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। उदारतावादी मानकीय राजनीति भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, सामाजिक न्याय की अवधारणा न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता भी है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए समग्र विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में जाति, धर्म और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समान अवसर प्राप्त हों। इसके अंतर्गत यह भी शामिल है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचा जाए, ताकि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने का अवसर मिल सके। वर्तमान अध्ययन इसी विषयवस्तु के संदर्भ में खोज की गई है।

कूट शब्द :– सामाजिक न्याय, बिहार, वंचित समूह, नैतिक दायित्व, जातिवाद, राजनीतिक परिदृश्य।

1. प्रस्तावना

बिहार एक महत्वपूर्ण भारतीय राज्य है, जो अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। बिहार मुख्यतः हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन यहाँ की भाषाई विविधता इसे और भी खास बनाती है। यहाँ हिंदी के अलावा उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका और संथाली जैसी भाषाएँ भी बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती है और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद का माध्यम प्रदान करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो इसे भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक बनाता है। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में आरक्षण सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य उन लोगों को अवसर प्रदान करना है, जो

ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रहे हैं। आरक्षण के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिले और वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

2. अध्ययन का उद्देश्य :

वर्तमान अध्ययन 'बिहार में सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति का वर्तमान परिदृश्य' का उद्देश्य निम्न है:

1. बिहार में आरक्षण की वर्तमान स्थिति को जानना।
2. जातिगत आधार पर आरक्षण की वर्तमान स्थिति को जानना।
3. बिहार में जाति जनगणना और आरक्षण सुधार की राजनीति को जानना।

3. सामाजिक न्याय एवं आरक्षण

सामाजिक न्याय का विचार सभी मनुष्यों को समान मानने के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों और अवसरों के संदर्भ में समानता मिले। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को उनके जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक स्थिति के बावजूद समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसे न्यूनतम संसाधन होने चाहिए, जिससे वे अपने 'उत्तम जीवन' की परिकल्पना को वास्तविकता में बदल सकें। यह 'उत्तम जीवन' का विचार केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का भी समावेश होता है।

हालांकि, आरक्षण के विरोधियों का तर्क है कि यह 'अवसर की समानता' के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–16 (1) में उल्लेखित है। अनुच्छेद–16 (1) के अनुसार, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और पदों में समान अवसर मिलना चाहिए। विरोधियों का मानना है कि आरक्षण के कारण योग्य और सक्षम व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे Meritocracy (योग्यता आधारित चयन) का सिद्धांत कमजोर होता है।

इस बहस में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या आरक्षण वास्तव में सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने में सहायक है या यह केवल एक अस्थायी समाधान है। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि आरक्षण के कारण समाज में विभाजन और असमानता बढ़ सकती है, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक आवश्यक कदम है ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें। इस प्रकार, आरक्षण का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जिसमें सामाजिक न्याय, अवसर की समानता और समाज में समरसता के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

4. बिहार में सामाजिक न्याय के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों में आरक्षण

व्यावहारिक राजनीति में, जैसे कि भारत में, सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक एकता का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। यह नारा उन समुदायों के लिए एकजुटता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। बिहार में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत वर्तमान में निम्नलिखित निर्धारित हैं:

1. **''अनुसूचित जातियाँ (SC)''** : बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 16 है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए है जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी रही हैं। इस आरक्षण का उद्देश्य इन जातियों के लोगों को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है।

2. **''अनुसूचित जनजातियाँ (ST)''** : अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 1 है। यह आरक्षण उन जनजातियों के लिए है जो विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में निवास करती हैं और जिनका विकास अन्य समुदायों की तुलना में कम हुआ है। इस आरक्षण का उद्देश्य उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

3. **''पिछड़ा वर्ग (BC)''** : पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 12 है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों या जनजातियों में नहीं आतीं। इस वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में सहायता प्रदान करने के लिए यह आरक्षण लागू किया गया है।

4. **''अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)''** : अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 18 है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए है जो विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। इस वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान और सहायता प्रदान करने के लिए यह आरक्षण निर्धारित किया गया है।

5. **''अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला (WBC)''** : अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 3 है। यह आरक्षण उन जातियों के महिलाओं के लिए है जो विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। इस वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान और सहायता प्रदान करने के लिए यह आरक्षण निर्धारित किया गया है।

6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)** : बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि सामान्य श्रेणी के उन व्यक्तियों को लाभ मिल सके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जो SC, ST या OBC श्रेणियों में नहीं आते। नवीनतम अपडेट के अनुसार: EWS आरक्षण 10% निर्धारित किया गया है। यह आरक्षण कुल 50% कोटे का हिस्सा है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति, जो आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते, उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो सके। बिहार सरकार ने EWS के लिए इस 10% कोटे को शामिल किया है, जो केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, जो भारत में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करती है। इस प्रकार, बिहार में कुल आरक्षण 60% हो जाता है, जब इसे अन्य जाति आधारित आरक्षण (SC, ST, OBC और EBC) के साथ जोड़ा जाता है।

5. बिहार में सामाजिक न्याय के अन्तर्गत महिला आरक्षण

राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है। यह आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करता है तथा उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करता है। महिलाओं को 38% आरक्षण कैसे मिलेगा, इस पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को पहले से मिल रहा 3 प्रतिशत आरक्षण भी जारी रहेगा। इस प्रकार, जब इस आरक्षण को जोड़ा जाएगा, तो राज्य में महिलाओं को कुल 38% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी जो पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं। आरक्षण का प्रावधान विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार है:

– ''एससी (अनुसूचित जाति)'': 16% आरक्षण, जिसमें महिलाओं के लिए 5.6% आरक्षण।

– ''एसटी (अनुसूचित जनजाति)'': 1% आरक्षण, जिसमें महिलाओं के लिए 0.35% आरक्षण।

–''ईबीसी (अत्यंत पिछड़ी जाति)'': 18% आरक्षण, जिसमें महिलाओं के लिए 6.3% आरक्षण।

– ''ओबीसी (अन्य पिछड़ी जाति)'': 12% आरक्षण, जिसमें महिलाओं के लिए 4.2% आरक्षण।

– ''अनारक्षित : 50% जिसमें महिलाओं के लिए 17.5 प्रतिशत हिस्सा।

वर्ष 2006 में, बिहार राज्य ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। वर्ष 2006 में, बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उठाया गया था, ताकि वे न केवल शिक्षिका बन सकें, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम हो सकें। इसके पश्चात, 2016 में बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह निर्णय महिलाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लिया गया था। इस आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पाने का अवसर मिला, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इन सभी पहलों ने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. **बिहार में जातिवाद से संबंधित आरक्षण की राजनीति**

भारतीय समाज प्राचीन काल से ही जाति के आधार पर बंटा हुआ है और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। जातीय भेदभाव और जाति आधारित राजनीति के संदर्भ में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर दिवाकर का कहना है, ''जब ज़मींदारी का उन्मूलन हुआ, लेकिन लोगों को ज़मीनें नहीं मिलीं और उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तब निचली और निम्न–मध्य जातियों के लोग एकत्रित हुए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। इस स्थिति से जातीय गोलबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उच्च जातियों के लोग, विशेषकर ज़मींदार, भी इस समय एकजुट होने लगे। उन्होंने आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप जातीय भेदभाव में वृद्धि हुई।''

इन घटनाओं के पश्चात जाति की राजनीति ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। चुनाव प्रचार से लेकर टिकट वितरण तक जाति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। राजनीतिक दलों ने अपने–अपने हितों के अनुसार जातियों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया, जिससे चुनावी रणनीतियों में जाति एक प्रमुख कारक बन गई। बिहार की राजनीति में आजादी के बाद प्रथम चुनाव से ही जातीय राजनीति की नींव पड़ गयी। बिहार में प्रथम सरकार के गठन से लेकर 70 के दशक के मध्य तक राज्य की सत्ता सवर्णों के हाथों में रही। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बाद कर्पूरी ठाकुर दलित और पिछड़े समाज की आवाज बनते हुए 1977 में 1979 के मध्य लगभग दो वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और इस समय अगड़ी जातियों को सत्ता से दूर करने में दलितों और पिछड़ों की बड़ी भागीदारी थी जिसका एक मुख्य कारण दलितों और पिछड़ों में आयी राजनीतिक जागरूकता थी।

जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद आए राजनीतिक बदलाव की लहर में बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जनता दल के बड़े नेता के रूप में उभरे और उन्होंने तत्कालीन सामाजिक स्थिति और मनोदशा को समझते हुए उन्होंने इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया। संयोगवश 1990 में हुआ विधानसभा चुनाव मंडल कमंडल के माहौल में अगड़ी बनाम पिछड़ी जाति के आधार पर लड़ा गया जिसमें जनता दल के पक्ष में पिछड़ों की गोलबंदी हुई और चुनाव के परिणाम जनता दल के पक्ष में रहे जिसमें लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने।

1990 के चुनाव तथा मंडल आयोग के बाद से बिहार में व्यापक सामाजिक बदलाव आया। अब बिहार की राजनीति में पिछड़ों एवं दलितों को राजनीतिक संरक्षण और उनकी आवाज को मजबूती मिली जिससे उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। लालू प्रसाद यादव के प्रयास से बिहार में पिछड़ों एवं दलितों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ीं। इसके बाद से बिहार के राजनीति में जातिवाद चरम पर पहुँच गया और चुनावों में सत्ता प्राप्त

करने हेतु व्यापक स्तर पर जातीय गोलबंदी होने लगी। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में पिछड़ी जातियों का महत्व बढ़ा और अगड़ी जातियाँ पिछड़ने लगी गई जो पहले बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को निर्धारित करती थी। इस प्रकार लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी ने जातिगत समीकरण एम वाई समीकरण के कारण बिहार में अगले 15 वर्षों तक शासन किया। इसी बीच जनता दल में बिखराव भी हुआ और कालान्तर में नीतीश कुमार एवं रामविलास पासवान द्वारा अलग होकर अपनी पार्टी का गठन किया गया और समय समय पर विभिन्न गठबंधनों के हिस्सा भी बने।

इस प्रकार बिहार की राजनीति में पिछड़ी एवं दलित वोटों का बंटवारा हुआ और राज्य का राजनीतिक समीकरण बदला वर्ष 2005 में नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन कर पिछड़ा और अगड़ा का साथ लेकर विकास एवं सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई। इस तरह 1990 से बिहार की राजनीति में आरंभ हुआ जातिवाद अभी भी राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए हुए है।

नीतीश कुमार द्वारा जीत हासिल की गयी वहीं दूसरी ओर 2010 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के बजाए सुशासन और विकास मुख्य चुनावी मुद्दा था। बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के आधार पर वोट दिया और जाति, वर्ग की राजनीति को नकार दिया। इस प्रकार बिहार की राजनीति में 2010 का चुनाव एक ऐतिहासिक और युगांतकारी बदलाव था। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिहार की राजनीति में जातिवाद गौण हो गया लेकिन 2015 के चुनाव में जिस प्रकार जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक हुए उसने इस धारणा को बदल दिया क्योंकि इस चुनाव को जातीय समीकरण के साथ–साथ विकास एवं सुशासन के आधार पर चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल की।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिहार में मंडल कमीशन और लालू प्रसाद यादव के उदय के बाद बिहार की राजनीति में दलितों एवं पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ा और इनका सशक्तिकरण हुआ। इसी क्रम में नीतीश कुमार के सोशल–इंजीनियरिंग द्वारा अत्यंत पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा और अत्यंत पिछड़ी जातियों के हित में कार्य करते हुए दलितों को विभाजित कर महादलित का गठन किया और उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ चलाई। इस प्रकार जाति बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गयी।

7. बिहार की राजनीति में जातिवाद के साथ बढ़ता व्यक्तिवादः

1990 में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार की राजनीति व्यक्तिवादी हो गयी। लालू प्रसाद यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के नेता के रूप में स्थापित हुए जिन्हें नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का समर्थन प्राप्त था। हालांकि कालांतर में दोनों नेता लालू प्रसाद यादव से अलग होकर अपनी अपनी राजनीति करने लगे। समय बीतने के साथ–साथ बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का समर्थन कम होने लगा तथा लालू प्रसाद अपेन मुस्लिम एवं यादव समीकरण तक सिमटते गए और विकल्प के रूप में श्री नीतीश कुमार और पासवान का उभार होने लगा। नीतीश कुमार उच्च जातियों, पिछड़े और महादलित जातियों के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन उनको दलित जाति का समर्थन मिलता रहा है। वर्तमान में इनके उत्तराधिकारियों की बात करें तो लालू प्रसाद के पुत्र एवं उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव और स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र और उत्तराधिकारी चिराग पासवान की लोकप्रियता जातियों के समर्थन के कारण ही बनी है। इसके अलावा जीतनराम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा, मुकेश सहनी जैसे बिहार के नेताओं को देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इनका महत्व भी अपनी अपनी जातियों के समर्थन के कारण ही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में इन तीन बड़े नेताओं तथा वर्तमान में कुछ अन्य नेताओं के उभरने के मुख्य कारण इनको अपनी अपनी जाति का वोट मिलना रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार में किसी क्षेत्रीय दल को जातिगत समर्थन प्राप्त नहीं है बल्कि व्यक्ति को समर्थन प्राप्त है। अतः बिहार के संदर्भ में यह कथन उचित प्रतीत होता है कि बिहार की जातीय राजनीति ने व्यक्तिवादी राजनीति को बढ़ावा दिया है।

8. 2020 के विधानसभा चुनाव एवं जाति की भूमिका

हाल के 2020 के विधान सभा चुनाव में भी इसका प्रभाव दिखा। इस चुनाव में जीत की रणनीतियों को बनाने, गठबंधन करने, टिकटों का बंटवारा, उम्मीदवारों के चयन, चुनाव प्रसार हेतु नेताओं और क्षेत्र के चयन आदि में जातियों की भूमिका काफी प्रभावी रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग सभी गठबंधन एवं चुनावी रणनीति जातियों समीकरण ध्यान में रखकर बनी। 2020 के चुनाव में बिहार के सबसे बड़े गठबंधन एनडीए में जदयू और बीजेपी तो शामिल थी ही लेकिन जीत के लिए जातीय समीकरण को मजबूत करने हेतु पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को भी शामिल किया गया। इसी क्रम में महागठबंधन को देखा जाए तो उसमें राजद, कांग्रेस और सभी वामदल शामिल थे लेकिन एनडीए की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से महागठबंधन जातिगत आधार पर गठबंधन करने में पिछड़ गया, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़ा। परिणाम आने के पूर्व तक यह लगा था कि महागठबंधन अपने रोजगार एवं पलायन के मुद्दे के साथ जीत हासिल करेगा और यह लगा कि यह चुनाव मुद्दा आधारित हो गया है जिसमें लोग जाति से उपर उठकर मतदान करेंगे लेकिन चुनाव परिणाम में रोजगार का मुद्दा पढ़े लिखे युवाओं तक ही सीमित रहा और अधिकांश लोगों ने जाति और धर्म के आधार पर ही अपना मतदान किया।

इस प्रकार हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग सभी गठबंधनों का सृजन राज्य के चुनावी माहौल को देखते हुए जातीय समीकरण के आधार पर हुआ था और बेरोजगारी और श्रमिक पलायन जैसे चुनावी मुद्दों के बावजूद अधिकांश वोट जात पात के आधार पर डाले गए। स्पष्ट है कि 2020 का विधानसभा चुनाव में भी जाति एक प्रमुख मुद्दा था और इस कथन से इंकार नहीं किया जा सकता कि जाति बिहार की चुनावी राजनीति का मुख्य पक्ष है।

9. बिहार में जाति जनगणना और आरक्षण सुधार की राजनीतिः

जाति जनगणना और आरक्षण सुधार भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवश्यक है। नीतीश कुमार, जो कि मंडल आंदोलन के एक प्रमुख नेता हैं, ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का समर्थन किया है और बिहार में जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया है। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण की स्वीकृति का स्वागत किया, जो कि एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ओबीसी और ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में अवसरों को सीमित करती है।

नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह न केवल सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, बल्कि यह नीति निर्माण में भी मदद करेगा। सही आंकड़ों के आधार पर सरकारें बेहतर नीतियाँ बना सकेंगी, जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा। इसी संदर्भित बिहार ने 2023 में एक ऐतिहासिक जाति जनगणना की शुरुआत की, जो लगभग एक दशक पहले हुए सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के बाद पहली बार है। यह जनगणना न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न जातियों की जनसंख्या का सटीक आंकड़ा प्रदान करेगी। गैर–एससी (अनुसूचित जाति) और गैर–एसटी (अनुसूचित जनजाति) के बारे में पर्याप्त डेटा की कमी ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जनसंख्या के सटीक अनुमान में बाधा डाली है। ओबीसी जनसंख्या का अंतिम अनुमान 1931 की जनगणना में 52 प्रतिशत था, लेकिन इसके बाद से इस वर्ग की जनसंख्या के बारे में कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2011 में यूपीए सरकार द्वारा करवाई गई सामाजिक–आर्थिक और जाति

जनगणना में जाति डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे इस क्षेत्र में और भी अधिक अनिश्चितता बनी रही।

बिहार विधानसभा ने 2018 और 2019 में जाति जनगणना के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए, जो इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति को दर्शाता है। इसके बाद, जून 2022 में, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर एकमतता व्यक्त की। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को सार्वजनिक किया, जो राज्य की जनसंख्या के विभिन्न जातीय समूहों की संरचना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, अत्यंत पिछड़ी जातियों (EBCs) की जनसंख्या 36.01 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि ये जातियाँ राज्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती हैं। इसके साथ ही, पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 27.12 है, जो इस बात का संकेत है कि ये जातियाँ भी राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर, अन्य पिछड़ी जातियाँ (OBCs) बिहार की जनसंख्या का सबसे बड़ा समूह बनाती हैं, जो 63 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियाँ 1.68 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उनकी जनसांख्यिकीय उपस्थिति को दर्शाता है। अनुसूचित जातियाँ लगभग 19.6 प्रतिशत हैं, जो कि राज्य में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में उठाए गए कदमों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

दूसरी ओर, उच्च जातियों का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या में 15.52 है, जो यह दर्शाता है कि बिहार में सामाजिक संरचना में विविधता है। इन आंकड़ों के मद्देनजर, बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की थी। इस संशोधन के तहत, कुल आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। संशोधित आरक्षण कोटा का वितरण इस प्रकार है:

1. ''अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBCs)'' के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत किया गया। यह वृद्धि उन वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी, जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे।
2. ''पिछड़े वर्गों (BCs)'' के लिए आरक्षण कोटा 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत किया गया। यह बदलाव भी उन समुदायों के लिए अवसरों को बढ़ाने में सहायक होगा, जो विकास की मुख्यधारा से बाहर रह गए हैं।
3. ''अनुसूचित जातियों (SCs)'' का आवंटन 16 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत किया गया। यह वृद्धि सुनिश्चित करेगी कि SC समुदाय के लोगों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकें।
4. इसके अतिरिक्त, ''अनुसूचित जनजातियों (STs)'' का कोटा दो गुना बढ़कर 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत हो गया। यह कदम ST समुदाय के विकास और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होती।

यह आरक्षण प्रतिशत में बदलाव बिहार के सामाजिक ढांचे में निहित सामाजिक–आर्थिक असंतुलनों को संबोधित करने के लिए एक संगठित प्रयास को दर्शाता है। इन संशोधित कोटों के कार्यान्वयन के बाद, नौकरी के अवसरों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल आरक्षण का प्रतिशत 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो यह दर्शाता है कि सरकार सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में गंभीर है।

इस समग्र मात्रा में ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)'' के लिए निर्धारित अतिरिक्त 10 प्रतिशत कोटा भी शामिल है। यह कोटा उन लोगों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अन्य किसी श्रेणी में नहीं आते। इस प्रकार, यह संशोधित आरक्षण नीति न केवल विभिन्न वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए किया गया, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी मजबूत भी करने के लिए किया गया।

10. 65 प्रतिशत आरक्षण और विपक्ष की राजनीति :

वर्त्तमान चुनावी माहौल में सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपने–अपने तरीके से सक्रिय हो गए हैं। सत्ताधारी पक्ष, जो कि विकास योजनाओं को लागू करने में जुटा है, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए भी प्रयासरत है। इस दौरान, सत्ता की रणनीति को समझते हुए विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के अंदर और बाहर लगातार यह मुद्दा उठाते रहते हैं कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्त्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि इस निर्णय के लिए जातीय जनगणना जैसे जटिल कार्य को महागठबंधन ने सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिससे विभिन्न जातियों के वास्तविक आंकड़े सामने आए। उनका तर्क है कि यह कदम समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दलित, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक था। विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान एनडीए सरकार पुराने आरक्षण के आधार पर ही नई रिक्तियों को भरने का कार्य कर रही है, जो कि इन जातियों के अधिकारों का हनन है। उनका कहना है कि यह न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी अन्याय है जो आरक्षण के माध्यम से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।

इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है, और दोनों पक्ष अपने–अपने तर्कों के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी पक्ष जहां अपने विकास कार्यों को गिनाने में लगा है, वहीं विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, 65 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है, जो आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

11 निष्कर्ष –

बिहार में आरक्षण की समस्या एक जटिल ऐतिहासिक धरोहर, राजनीतिक आंदोलनों और सामाजिक–आर्थिक जटिलताओं का समुच्चय है। यह समस्या केवल एक नीति या कानून का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की असमानताओं, संघर्षों और आकांक्षाओं का परिणाम है। 1990 से पूर्व भी बिहार में सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति सक्रिय रही है। इस समय के दौरान, विभिन्न जातियों और समुदायों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, जिससे सामाजिक संरचना में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। यह आंदोलन न केवल राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और संघर्ष का भी कारण बना। 1990 के बाद, बिहार में आरक्षण की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। इस समय के दौरान, श्री लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बना लिया। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की मांग को मजबूती से उठाया, जिससे उनके समर्थकों में एक नई जागरूकता और एकता आई। इसके बाद, श्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे को अपने राजनीतिक करियर में शामिल किया और विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय की बात की। स्व. रामविलास पासवान, जो दलितों के अधिकारों के लिए एक प्रमुख आवाज थे, ने भी आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से बिहार में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए। वर्तमान में, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और श्री जीतनराम मांझी जैसे नेताओं ने भी इस राजनीति को जीवित रखा है, जो विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस प्रकार, बिहार में आरक्षण की समस्या एक निरंतर विकसित होती प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह समस्या न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की असमानताओं को भी उजागर करती है। आरक्षण की राजनीति ने बिहार में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके साथ ही यह कई चुनौतियों और

विवादों का भी कारण बनी है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि सभी पक्षों के बीच संवाद और समझदारी बढ़ाई जाए, ताकि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके।

संदर्भ सूची :

[1] एम. आलमगीर (2013), ''डाईनामिक्स ऑफ बिहार पोलिटिक्स'', एक्सिस बुक प्रा. लि. न्यू दिल्ली।

[2] शशि शेखर झा (1972), ''पोलिटिकल इलाईट इन बिहार'', वोरा एण्ड कं०, बम्बई।

[3] के.के.सिंह और निकोलस स्टर्न (2013), ''द न्यू बिहार'', हैपरकोलिंस पब्लिकेशंस, नोएडा, भारत।

[4] https://enewsroom.in/hindi/social-justice-in-bihar-castism-election/

[5] संकर्षण ठाकुर (2015), ''अकेला आदमी : कहानी नीतीश कुमार की'', नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।

[6] डा. दिलीप कुमार, सामाजिक बदलाव और बिहार, जानकी प्रकाशन, पटना, 2015

[7] ओंकार केडिया व मनोज पांडे (2003), ''आम नागरिक अधिकार (कमजोर वर्गों के लिये विशेष सुविधायें)'', प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

[8] राजेश गुप्ता (1997), ''डॉ0 अम्बेडकर और सामाजिक न्याय'', मानक पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड।

[9] वी. आर. अम्बेडकर (1940), ''कास्ट्स इन इण्डिया : देयर जेनेसिज'', मैकेनिज्म एण्ड डेवलपमेंट, इंडियन आटीक्वेरी वाल्यूम।

[10] बी. एस. धूरे (1997), ''कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया'', पॉपूलर प्रकाशन, बम्बई।

[11] अनिरूद्ध प्रसाद (1997), ''आरक्षण : सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक संतुलन'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

[12] डॉ. रामदेव शर्मा (2000), ''आरक्षण – मुद्दा (तनाव व समाधान'', जय भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

[13] आर. जी. सिंह (1986), ''भारतीय दलितों की समस्यायें एवं समाधान'', हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

[14]. सुषमा यादव (2006), ''सामाजिक न्याय, अम्बेडकर्स विज़न'', इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।

[15] http://www.social-policy.org.uk/lincoln2011/PowellJohnsGreen%20P7.pdf

[16] सुषमा यादव (2006), ''सोशल जस्टिसः अम्बेडकरस विजन'', भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।